

केन्द्रीय विद्यालय, संगठन

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
क्षेत्रीय कार्यालय, सिलचर
नियर लॉयन्स आई ,हॉस्पिटल .

कैप्टन एन सिलचर ,गुप्ता सरणी .एम -788001
(03842) 234009 (DC)/ 246886(ACs)
/245737 (AO) /261784 (FO)



तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Ministry of Education, Govt. of India
REGIONAL OFFICE, SILCHAR
Near Lion's Eye Hospital, Captain
N.M. Gupta Sarani, Silchar-788001
E-mail: dckvsrosilchar@gmail.com
Web: www.rosilchar.kvs.gov.in



पत्र सं.29331/2026-के.वि.सं.(एस.आर) /Local Transfer/ 3635-65

दिनांक-02.07.2026

सिर्फ ई-मेल द्वारा

सेवा में,
प्राचार्य
समस्त केन्द्रीय विद्यालय
सिलचर संभाग

विषय:- छात्रों हेतु **One Time** वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण 2026-27 के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि छात्र/छात्राओं के स्थानीय स्थानांतरण हेतु प्रोफार्मा संलग्न है। छात्र/छात्राओं के वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण 2026-27 हेतु कृपया निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दें:-

01. वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि: **20.07.2026** है।
02. अभिभावक वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण का आवेदन प्रपत्र में अपना पूर्ण विवरण भरकर तीन प्रतियों में, जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ जमा कर दें।
03. प्राचार्य (जहाँ बच्चा पढ़ रहा है।) वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण के समस्त आवेदन प्रपत्र में अपनी टिप्पणी सहित संबंधित प्राचार्य को (यानी जिस विद्यालय में छात्र/छात्रा स्थानीय स्थानांतरण चाहता है।) दिनांक-**23.07.2026** तक भेज देंगे।
04. तत्पश्चात् जिस विद्यालय में छात्र/छात्रा स्थानीय स्थानांतरण चाहता है। वहाँ के प्राचार्य वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण के समस्त आवेदन प्रपत्र में दिनांक-**25.07.2026** तक के छात्रों के संख्या के आधार पर अपनी टिप्पणी सहित दिनांक-**28.07.2026** तक डाक द्वारा संभागीय कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

NOTE:- प्राचार्य (जहाँ बच्चे का स्थानांतरण होना है।) कृपया के.वि.सं. के प्रवेश नियमावली के PART-A के Para-7 के Sub Para-(iii) के आधार पर ही स्थानीय स्थानांतरण के आवेदन को संभागीय कार्यालय में भेजें।

05. वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण-2026-27 के आवेदनों का निपटारा संभागीय स्तर पर गठित समिति के द्वारा संभागीय स्तर पर किया जाएगा।

समस्त प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण 2026-27 की सूचना (प्रपत्र सहित) विद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर अपलोड अवश्य करें।

नोट:- वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण का यह प्रक्रिया One Time (Yearly) प्रक्रिया है। इसके पूरा होने के पश्चात् विद्यालय द्वारा स्थानीय स्थानांतरण से संबंधित कोई भी पत्र इस कार्यालय में प्रेषित न करें। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ऐसे किसी मामले पर विचार नहीं किया जाएगा।

संलग्नक: प्रपत्र

भवदीय


(डॉ. अनुराग यादव)
उपायुक्त